गर्भपात से जुड़ी कानूनी जानकारी

सुहास कुमार

बहुत बार अनचाहा गर्भ ठहर जाने पर गर्भपात करवाना पड़ता है। सही जानकारी न होने के कारण महिलाओं को स्वास्थ्य और जान का खतरा रहता है। माहवारी के दिन चढ़ने पर जल्दी से जल्दी जांच करवा लेनी चाहिए। जितनी देर की जाएगी उतना खतरा बढ़ता है। गर्भपात करवाने वाली महिला चाहे विवाहित हो या अविवाहित, इसको गोपनीय ही रखना चाहती है। राज़ खुलने के डर से वह सरकारी अस्पताल या मान्यताप्राप्त अस्पताल में जाने से कतराती हैं।

यह उनकी जानकारी की कमी है। इन अस्पतालों में कोई ग़ैर-ज़रूरी सवाल-जवाब नहीं किए जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में आमतौर से यह सुविधा मुफ्त दी जाती है। गर्भपात एक छोटा-मोटा आपरेशन है और इसमें सफाई तथा कई सावधानियां बरतना ज़रूरी है। नहीं तो छूत और तरह-तरह की गड़बड़ी होने का डर रहता है।

इसे कई बार गर्भ-निरोध के तरीके की तरह अपनाया जाता है। लेकिन यह गलत है। बार-बार गर्भपात करवाने से शरीर कमज़ोर तो होता ही है, कई बीमारियां भी जड़ पकड़ लेती हैं। कभी-कभी गर्भधारण करने की शक्ति हमेशा के लिए खोई जा सकती है। कई मानसिक बीमारियां होने का डर भी रहता है। अगर बच्चा नहीं चाहिए तो निरोध या कॉपर टी इस्तेमाल करें। गर्भपात को गर्भ-निरोधक तरीके की तरह इस्तेमाल न करें।

अगर शादी के पहले किसी हादसे या नासमझी की वजह से किसी लड़की को बच्चा ठहर जाए तो इसे शर्म या डर से छिपाए नहीं। कम से कम अपनी मां, बड़ी बहन या भाभी आदि का सहयोग लें। यह एक बड़े संकट की घड़ी होती है। मां-बाप, भाई-बहन सभी को बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। लड़की के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य की चिंता करके सही रास्ता समझदारी से ढूंढना चाहिए। अगर गर्भपात करवाना ही हो तो जल्दी से जल्दी मान्यताप्राप्त अस्पताल में करवाएं।

गर्भपात के लिए डाक्टर कई तरीके अपनाते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि दिन चढ़े कितना समय बीता है। पहले कुछ दिनों में गर्भपात बहुत आसान है। गर्भाशय में एक ट्यूब डालकर उसकी सफाई कर दी जाती है। मरीज़ को कुछ ही समय में घर भेज दिया जाता है। दिन चढ़ने के दो हफ्तों के अंदर ही इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मरीज को बेहोशी की दवा देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।

अगले छह सप्ताहों में भी गर्भपात में

कुछ मिनट ही लगते हैं लेकिन इसमें बेहोशी की दवा दी जाती है। गर्भाशय को सुन्न करके दवा डाली जाती है। मरीज को अगले चार घंटे देखरेख के लिए अस्पताल में रखा जाता है। उसके बाद कुछ दिन दवाएं भी लेनी पड़ सकती हैं। एक हफ्ते बाद दोबारा जांच के लिए आना होता है।

बारह हफ्तों के बाद बहुत ज़रूरी होने पर ही गर्भपात किया जाता है। मोटे तौर से गर्भाशय में दवा डाली जाती है जिससे गर्भ बाहर आ जाता है। कभी-कभी चीरा लगाकर गर्भ को निकालना पड़ता है। **अनुभवहीन, नीम हकीम दाई के पास जाने से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं जैसे बच्चेदानी का फट जाना, गर्भाशय नली को नुकसान पहुंचना, छूत लग जाना आदि।** बाद में और भी परेशानियां हो सकती हैं जैसे बार-बार गर्भ का गिरना, माहवारी की गड़बड़ी, बांझपन आदि। इससे मन में ग्लानि और पछतावे की वजह से मानसिक अस्वस्थता भी हो सकती है।

गर्भपात संबंधी कानून

अप्रैल 1972 से लागू गर्भपात कानून (एम.टी.पी. एक्ट) के तहत हर बालिग महिला गर्भ ठहरने के 12 हफ्तों में गर्भपात करा सकती है। लेकिन नीचे लिखे हालात में ही गर्भपात वैध माना जाएगा। यह हालात हैं—

1. गर्भवती महिला का जीवन खतरे में हो।
2. गर्भावस्था जारी रखने से गर्भवती का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो।
3. गर्भ बलात्कार से ठहरा हो।
4. बच्चे के विकलांग पैदा होने का डर हो।
5. गर्भ किसी गर्भ-निरोधक के काम न करने से ठहरा हो।
6. यह डर हो कि गर्भावस्था के जारी रहने से आगे चलकर स्त्री का स्वास्थ्य खराब होगा।

गर्भपात करवाने के लिए पति की मंजूरी ज़रूरी नहीं। अगर लड़की 18 साल से कम है तो अभिभावकों की मंजूरी लेनी पड़ती है।

अधिनियम में यह भी प्राविधान है कि ज़रूरी हो तो 20 हफ्ते तक भी गर्भपात करवाया जा सकता है। हांलांकि 12 हफ्ते से ज़्यादा की हालत में कम से कम दो डाक्टरों की सहमति ज़रूरी है।

गर्भपात कानून के नियम बहुत उदार हैं। गर्भ-निरोधक के काम न करने का आधार कोई भी गर्भवती महिला आसानी से ले सकती है। फिर भी जानकारी की कमी, शर्म आदि के कारण कई बार स्त्रियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

गर्भपात कराने वाली बहनें एक बात गांठ बांध लें। नीम हकीम और अकुशल दाइयों से गर्भपात कभी न कराएं। गर्भपात के लिए मान्यताप्राप्त या सरकारी अस्पताल में ही जाएं।

□